INDIA NON JUDICIAL

IN-UP01036778235685V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP01036778235685V
Certificate Issued Date	:	29-Aug-2023 04:15 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14368404/ SULTANPUR SADAR/ UP-SLT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14368404976504460039628V
Purchased by	:	KAMAYANI PHARMACY COLLEGE AJIYAURDEI ALIGANJ
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KAMAYANI PHARMACY COLLEGE AJIYAURDEI ALIGANJ
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	KAMAYANI PHARMACY COLLEGE AJIYAURDEI ALIGANJ
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY U.P. GOVERNMENT

NOTARIAL NOTARIAL

8241

(प्रारूप– "अ")

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप :–

हम **डॉ0 संदीप कुमार शुक्ल** (नाम अध्यक्ष) एवं **डॉ0 सुरभि शुक्ला** (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव **कामायनी महिला महाविद्यालय समिति, ग्राम– अजियाउरदेई, पो0– अलीगंज, जिला– सुलतानपुर (उ0प्र0)** (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं :–

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट **कामायनी महिला महाविद्यालय समिति** द्वारा (संस्था का नाम एवं पता) **कामायनी फार्मेसी कॉलेज पता ग्राम– अजियाउरदेई, पो0– अलीगंज, जिला– सुलतानपुर (उ0प्र0)** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

Rajendra Pratap Singh
Advocate
NOTARY
Sultanpur
1-9-23

No 8241 Time

Solemnly affirmed before me today ... been ... read & explained ...

identified by 1-9-23

Rajendra Pratap Singh
NOTARY Advocate
Th Sadar Sultanpur

Rajendra Pratap Singh
Advocate
NOTARY
Sadar, Sultanpur
1-9-23

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम कामायनी महिला महाविद्यालय समिति (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) ग्राम– अजियाउरदेई, पो0– अलीगंज, तहसील– सदर, जिला– सुलतानपुर (उ0प्र0) में गाटा सँख्या 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 एवं 105 रकबा क्रमशः 0.025, 0.025, 0.101, 0.031, 1.575, 0.025, 0.025, 0.038, 0.063, 0.051, 0.051, 0.038, 0.101, 0.342, 0.2340, 0.2010, 0.2140 हेक्टेयर (कुल रकबा 3.141 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सँख्या 92 रकबा 0.8100 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 14.11.2019 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ से

NOTARY
ADVOCATE
GOVERNMENT
8241

Advocate
NOTARY
Sultanpur
1-9-23

सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली भाँति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY U.P. GOVERNMENT

8241

ह0 प्रबन्धक	ह0 अध्यक्ष
कामायनी महिला महाविद्यालय समिति	कामायनी महिला महाविद्यालय समिति
ग्राम– अजियाउरदेई, पो0– अलीगंज,	ग्राम– अजियाउरदेई, पो0– अलीगंज,
जिला– सुलतानपुर (उ0प्र0)	जिला– सुलतानपुर (उ0प्र0)

Advocate
NOTARY
Sultanpur
1-9-23